IFCI LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

मार्च, 2015

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार की

एक पहल

(नोडल एजेंसी - आईएफसीआई लिमिटेड)

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
द्वारा प्रवर्तित

नोडल एजेंसी : आईएफसीआई लिमिटेड

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 (भारत)
टेलीफोन: +91-11-41732000/41792800, फैक्स:+91-11-26230201/26488471
ई-मेल: cegssc@ifciltd.com, वेबसाइट: www.ifciltd.com
सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार की
एक पहल

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

विषय-वस्तु **पृष्ठ संख्या**

1. खण्ड I

पृष्ठभूमि 02

योजना का उद्देश्य 02

अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अनुमानित जनसंख्या 02

2. खण्ड II

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना की विशेषताएं 03

3. खण्ड III

पात्रता मानदण्ड 05

गारंटी की सीमा राशि 05

योजना के विवरण 06

सौदा स्त्रोत कार्य-नीति 08

भावी बाध्यताएं/अनिश्चितताएं 09

अन्य शर्तें 09

4. अनुबन्ध

अनुबन्ध-I : विस्तृत योजना (विषय-सूची व अध्याय I से VI) 10

अनुबन्ध-II : योजना की स्थापना की कार्यविधि 18

अनुबन्ध-III : बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला संकेतात्मक मूल्यांकन प्रपत्र 18

अनुबन्ध-IV : बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले संकेतात्मक गुणावगुण माडयूल्स 19

अनुबन्ध-V : संवितरण तथा बकाया स्थिति की तिमाही रिपोर्ट 21

अनुबन्ध-VI : अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना के अधीन गारंटी कवर को प्रभावी करने का आवेदन 22

खण्ड-I

प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि:

वित्तमंत्री ने दिनांक 18 जुलाई, 2014 को केन्द्रीय बजट भाषण (2014-15) के दौरान अनुसूचित जाति से सम्बन्धित ऐसे युवा और नए उद्यमियों को ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य समाज के निचले स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें मध्यम वर्ग का हिस्सा बनाना है, जिससे अनुसूचित जातियों में आत्मविश्वास पैदा होने के साथ-साथ रोजगार का सृजन भी होगा ।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं, जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी, को ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करके उक्त आबंटन समाज के निचले स्तर के अनुसूचित जाति के लोगों में उद्यमीयता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक सामाजिक प्रयास है।

2. योजना का उद्देश्य:

''**उद्यमशीलता**'' व्यवसाय का प्रबन्धन करने वाले नवोन्मेषी तथा वृद्धिशील प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख उद्यमियों से सम्बन्धित हैं। ऊपर निर्दिष्ट निधि का अभिप्राय उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है जिससे समाज के लिए सम्पदा, मूल्य का सृजन होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और जिसके फलस्वरूप उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही लाभप्रद कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- यह भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली सामाजिक क्षेत्र की एक पहल है।
- नवीनतम तथा विकासशील प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख अनुसूचित जाति के लोगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाएं, जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी, को ऋण वृद्धि के लिए गारंटी के रूप में सहयोग देना, जिसके फलस्वरूप समाज के लिए सम्पदा, मूल्य का सृजन होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और जिससे अन्ततः उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही लाभप्रद कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा । इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों से सम्पन्न/पिछड़े लोगों के बीच परस्पर सम्बन्ध बनेंगे । जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से स्थान व सामान्य रूप से समाज पर निरन्तर प्रभाव पड़ेगा।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा अनुसूचित जाति के समुदाय के अधिकाधिक विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के आर्थिक विकास को सुगम बनाना और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

3. अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अनुमानित जनसंख्या:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.13 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.63% है । हमारी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में ऐसी योजनाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं जिनसे अनुसूचित जाति की जनसंख्या सम्पन्न हो सकती है और उन्हें मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त हो सकते हैं ।

यद्यपि अनुसूचित जाति के उद्यमियों की रूपरेखा के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अभी भी दलित इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की) आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के मोटे अनुमानों के अनुसार लगभग 1000 ऐसे दलित उद्यमी हैं जिनका संयुक्त कारोबार छः हजार करोड़ रुपए का है । लगभग पचास ऐसी कम्पनियां हैं जिनका कारोबार दस करोड़ रुपए या इससे अधिक है । अतः ऋण वृद्धि गारंटी योजना में न केवल विद्यमान अनुसूचित जाति के उद्यमियों अपितु प्रथम पीढ़ी के अनुसूचित जाति के उद्यमियों, जो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बनना चाहते हैं, का कारोबार भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाने की सम्भावना है।

(स्रोतः डिक्की)

खण्ड-II

अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना की विशेषताएं

4. निधि की संकेतात्मक विशेषताएं:

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	**प्रायोजक एजेंसी का नाम**	सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
2.	**योजना का आकार**	200 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक पूंजी का आबंटन । योजना की प्रगति, प्रतिक्रिया अथवा योजना की प्रभावोत्पादकता के अनुसार भारत सरकार द्वारा बजटीय आबंटन के मार्फत प्रतिवर्ष इतनी ही राशि अथवा वार्षिक बजटीय आंबटन की मार्फत इससे अधिक राशि का आबंटन।
3.	**योजना का स्वरूप**	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।
4.	**योजना की संरचना**	भारत सरकार 200 करोड़ रुपए की एक आधारभूत निधि (जिसे इसमें आगे ***''निधि''*** कहा जाएगा) की स्थापना करेगी, जिसे आईएफसीआई लिमिटेड में रखा जाएगा और जो इसे अलग से **नो लियन एकांउट (एनएलए)** में रखेगी। इस निधि में से ऋण वृद्धि गारंटी (जिसे इसमें आगे **''गारंटी''** कहा जाएगा) प्रदान की जाएगी और जो नो लियन एकांउट में पड़ी निधि/शेष राशि में से लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यमों में लगे अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सावधि ऋण या संयुक्त सावधि ऋण प्रदान करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को पहले से जारी की गई गारंटियों के लिए अलग से रखी गई 100% राशि घटाकर प्रदान की जाएगी। यह निधि सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं, जो अनूसूचित जाति के उद्यमियों को उपयुक्त दरों पर वित्त के लिए प्रेरित/उत्साहित करेंगी, को गारंटियां प्रदान करने का आधार होगी ताकि यह उद्यम लाभप्रद उद्यम बन सकें और देश के पूंजी निर्माण में सहयोग दे सकें तथा ये उद्यमी अपने तथा समाज के लिए सम्पन्नता, प्रतिष्ठा तथा रोजगार सृजित कर सकें। इस योजना/निधि को स्थापित करने की कार्यविधि **अनुबन्ध-II** में दी गई है।
5.	**परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी (एएमसी)/ नोडल एजेंसी का नाम**	**आईएफसीआई लिमिटेड**, जिसे इसमें आगे **आईएफसीआई** कहा जाएगा ।
6.	**निधि की अवधि**	कार्यान्वयन की तारीख से 7 वर्ष की अवधि, जिसमें योजना की अनुमानित प्रगति तथा/योजना की सफलता के अनुसार इसकी समीक्षा तथा प्रत्येक आधारभूत निधि की स्थापना की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए योजना का विस्तार और जिसकी समीक्षा आईएफसीआई से समय-समय पर प्राप्त प्रबन्धन सूचना पद्धति के आधार पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जा सकती है ।
7.	**निधि के अधीन लेखाबंदी**	यह एक ओपन एन्डिड स्कीम है, जो भारत सरकार द्वारा नो लियन एकांउट में आईएफसीआई के पास रखी गई निधि उपलब्ध होने तक **सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं** के लिए प्रथम आओ, प्रथम पाओ आधार पर होगी।
8.	**उपलब्धता अवधि**	प्रथम संवितरण की तारीख से 30 दिन, प्रथम आओ, प्रथम पाओ आधार पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा मंजूरी पत्र तथा संवितरण का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर।
9.	**गारंटी अवधि**	आरम्भ में एक वर्ष, जिसका नवीकरण समग्र ऋण अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में, अधिकतम 7 वर्ष तक किया जाएगा बशर्ते कि सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं जिसके पक्ष में गारंटी प्रदान की गई है, द्वारा नवीकरण शुल्क की अदायगी समय पर कर दी गई हो।
10.	**योजना में समाहित लागत**	**भारत सरकार को लागत:** प्रत्येक आधारभूत निधि (200 करोड़ रुपए की घोषित प्रथम आधारभूत निधि) की प्रारम्भिक स्थापना और योजना के समावेश के लिए प्रणाली और कार्य-विधियां बनाने के लिए 1.50% की एक समान (लागू करों को छोड़कर) दर से प्रारम्भिक शुल्क एवं योजना की अवधि के दौरान, योजना के वार्षिक रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में 0.50% प्रतिवर्ष की दर से (लागू करों को छोड़कर) वार्षिक रखरखाव शुल्क। यह वार्षिक अदायगी आईएफसीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सकल बकाया गारंटी पर

		प्रभारित की जाएगी। जैसे ही योजना परिचालनरत हो जाती है, 1.50% का प्रारम्भिक शुल्क नो लियन एकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वार्षिकीय आधार पर नो लियन एकाउंट को डेबिट करते हुए **आईएफसीआई** द्वारा वार्षिक रखरखाव शुल्क की वसूली की जाएगी। **सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को लागत:** प्रथम वर्ष के लिए ऋण राशि पर 1% प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क (लागू करों को छोड़कर) तथा उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात् प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली गारंटी के नवीकरण के लिए बकाया गारंटी वचनबद्धता/देयता का 1% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क (लागू करों को छोड़कर)। उस वर्ष 31 मई तक या विनिर्दिष्ट अन्य किसी तारीख तक नवीकरण शुल्क की अदायगी न करने पर योजना के अन्तर्गत गारंटी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जब तक आईएफसीआई गारंटी जारी रखने की सहमति नहीं दे देता और ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था उसके बाद 1 जून से आईएफसीआई की वार्षिक बेंचमार्क दर से 4% अधिक या विलम्ब की अवधि के लिए आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी दरों पर देय तथा अप्रदत्त नवीकरण शुल्क पर दांडिक ब्याज देगा। कार्यशील पूंजी सुविधा के मामले में वार्षिक नवीकरण शुल्क मंजूर की गई राशि पर प्रभारित होगा, न की प्रयोग की गई सीमा तक। ***महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को लागत: योजना के अधीन महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला उद्यमियों के लिए प्रारम्भिक शुल्क न्यूनतर दर पर प्रभारित किया जाएगा। आईएफसीआई अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार से 1.50% की बजाय 1.00% तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से 1.00% प्रतिवर्ष की बजाय 0.75% प्रतिवर्ष शुल्क लेगा।***
11.	**वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की अनुमानित संख्या**	इस योजना में आईएफसीआई के पास नो लियन एकांउट में भारत सरकार द्वारा स्थापित 200 करोड़ रुपए के कॉर्पस के पहले उपयोग में से योजना के कार्यान्वयन होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के अंदर लगभग 110 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को शामिल करने की संभावना है । भारत सरकार द्वारा संवितरित 200 करोड़ रुपए के कॉर्पस के नियोजन के लिए पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं: ● सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर 80% की सीमा तक ऋण राशि की गारंटी दी जाएगी जो 1.60 करोड़ रुपए की अधिकतम गारंटी होगी। 1.20 करोड़ रुपए के गारंटी कवर का सामान्य औसत लेते हुए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करके 90 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करते हुए 75 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सकता है। ● सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा 2 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ऋण राशि के 70% की सीमा तक गारंटी दी जाएगी जिसमें न्यूनतम गारंटी की राशि 1.60 करोड़ रुपए एवं अधिकतम गारंटी की राशि 3.50 करोड़ रुपए होगी। 2.60 करोड़ रुपए के गारंटी कवर का सामान्य औसत लेते हुए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करके 78 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करते हुए 30 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सकता है । ● सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर 60% की सीमा तक गारंटी दी जाएगी जो न्यूनतम 3.50 करोड़ रुपए और अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए होगी । 4.25 करोड़ रुपए के गारंटी कवर का सामान्य औसत लेते हुए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करके 28 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करते हुए 5 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सकता है । वित्तीय सहायता के विवरण नीचे खंड III पैरा 2 में दिए गए हैं।
12.	**परिवर्तन**	योजना के अधीन शामिल किए जाने वाले अनुसूचित जाति के सम्भावित उद्यमियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा यह भारत सरकार द्वारा वास्तविक टिकट आकार/कॉर्पस आकार/या उसके द्वारा किसी अन्य आशोधन करने पर, मामलों की गुणवत्ता और उपयुक्तता/व्यवहार्यता और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योजना के अनुवर्तन तथा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर निर्भर होगा।

टिप्पणी: कार्यान्वयन की अवधि तथा परिचालन के कार्य-क्षेत्र:

यह योजना वर्ष **2014-15** में कार्यान्वित की जाएगी और इसके बाद, पूरे देश में चलती रहेगी।

खण्ड-III

1. सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा विचार किए जाने वाले पात्रता मानदण्ड:

- इकाई में नियोजित निधियों में से परिसम्पत्ति के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों द्वारा विनिर्माण तथा सेवाओं क्षेत्र में स्थापित, प्रवर्तित तथा चलाए जा रहे लघु एवं मध्यम उद्यमों, परियोजनाओं/ इकाइयों, जो किसी राज्य/केन्द्र सरकार की उप-सहायता/अनुदान योजना के अधीन शामिल नहीं होंगी, योजना हेतु पात्र होगे।
- पिछले 12 माह से प्रबन्धन नियंत्रण वाली अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रवर्तकों/सदस्यों द्वारा धारित 75% से अधिक शेयरधारिता वाली पंजीकृत कम्पनियां एवं समितियां।
- पिछले 12 माह से अनुसूचित जाति के साझेदारों द्वारा धारित 75% से अधिक शेयरधारिता वाली साझेदार फर्में, जिसमें किसी भी साझेदार की आयु 18 वर्षों से कम नहीं हो।
- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमियों/प्रवर्तकों/साझेदारों/समिति सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति का होने के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति प्रवर्तक(कों)/साझेदार/समिति सदस्य कम्पनी/उद्यम में अपनी हिस्सेदारी 75% से कम नहीं करेंगे।
- इस योजना के अधीन, गारंटी के लिए पात्र होने के लिए, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमी/उद्यम/कम्पनी/फर्म/समिति को जारी किए गए वैध मंजूरी पत्र/आशय पत्र की एक प्रति आईएफसीआई को प्रस्तुत करनी होगी। सुविधा के लिए, इस योजना के संकेतात्मक मूल्यांकन प्रपत्र एवं गुणावगुण माड्यूल क्रमश: **अनुबन्ध-III व अनुबन्ध-IV** में दिए गए हैं। तथापि, जिन सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपने प्रपत्र तथा माड्यूल्य पहले ही विकसित कर लिए गए हैं वे अपने मूल्यांकन प्रपत्रों/माड्यूल्स का प्रयोग कर सकते हैं।

2. गारंटी की सीमा राशि: गारंटी कवर की राशि नीचे दिए गए अनुसार होगी:

श्रेणी	मापदण्ड	(करोड़ रुपए)		
	ऋण राशि दायित्व	0.25 से 2.00	2.00 से अधिक 5.00 तक#	5.00 से अधिक#
पंजीकृत कम्पनियां	गारंटी दायित्व की राशि	मंजूर की गई सुविधा का 80%	मंजूर की गई सुविधा का 70%	मंजूर की गई सुविधा का 60%
	गारंटी का दायित्व	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 80%	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 70%	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 60%
	उपलब्ध न्यूनतम गारंटी राशि	0.20	1.60	3.50
	उपलब्ध अधिकतम गारंटी राशि	1.60	3.50	5.00
पंजीकृत साझेदार फर्में व समितियां	गारंटी दायित्व की राशि	मंजूर सुविधा का 60%		
	ऋण राशि के गारंटी कवर का %	चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 60%		
	उपलब्ध न्यूनतम गारंटी राशि	0.15		
	उपलब्ध अधिकतम गारंटी राशि	5.00		

#2.00 करोड़ रुपए से अधिक ऋण राशि के लिए विभिन्न विभागों की विद्यमान योजनाओं की मार्फत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा इनक्यूबेशन सुविधा प्रदान की जाएगी।

3. योजना के विवरण (संकेतात्मक): ऋण वृद्धि गारंटी योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	**योजना का निकाय**	प्रारम्भ में भारत सरकार योजना को चलाने के लिए आईएफसीआई को 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस देगी, जिसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएफसीआई द्वारा ''नो लियन एकांउट'' में रखा जाएगा ।
2.	**पात्रता**	अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित तथा चलाए जा रहे लघु एवं मध्यम उद्यम, जो अन्य किसी राज्य/केन्द्र सरकार की उप-सहायता/गारंटी योजना के अधीन शामिल नहीं हैं। अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया उपर्युक्त खण्ड III पैरा 2 देखें ।
3.	**योजना के अधीन समाहित क्षेत्र**	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता के लिए विनिर्माण/व्यापार/सेवा क्षेत्र में लगे ऋणी पर विचार किया जा सकता है।
4.	**ऋणी का प्रकार**	क) पंजीकृत कम्पनियां, जिनकी पिछले 12 माह से 75% से अधिक शेयरधारिता अनुसूचित जाति के प्रवर्तक (कों) द्वारा धारित हो तथा जिनका प्रबन्ध नियंत्रण अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रवर्तकों के पास हो। ख) पंजीकृत साझेदारी फर्में, जिनकी पिछले 12 माह से 75% से अधिक शेयरधारिता अनुसूचित जाति के प्रवर्तक (कों) द्वारा धारित हो तथा जिनका प्रबन्ध नियंत्रण अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रवर्तकों के पास हो। ग) समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत समिति और जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की प्रचलित नीति के अनुसार अनुमोदित कारोबार कर रही हों एवं जिनकी कम से कम पिछले 12 माह से 75% से अधिक शेयरधारिता अनुसूचित जाति के प्रवर्तक (कों) द्वारा धारित हो तथा जिनका प्रबन्ध नियंत्रण अनुसूचित जाति के उद्यमियों/सदस्यों के पास हो • कम्पनियों के अनुसूचित जाति के प्रवर्तकों को पंजीकृत साझेदारी फर्मों तथा पंजीकृत समितियों की तुलना में वरीयता दी जाएगी । • ऋण की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति के प्रवर्तक(कों)/साझेदारों/सदस्य/अपनी शेयरधारिता/इक्विटी कम नहीं करेंगे।
5.	**गारंटी दायित्व की राशि**	ऊपर खंड III पैरा 2 में दिए गए विवरण के अनुसार, 5.00 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि।
6.	**गारंटी की अवधि**	अधिकतम 7 वर्ष या पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो । तथापि, प्रारम्भ में ऋण पर गारंटी 1 वर्ष के लिए दी जाएगी और इसका नवीकरण वार्षिक अन्तराल पर वार्षिक नवीकरण शुल्क (विवरण **अनुबन्ध-I** में दिए गए हैं) की अदायगी और नवीकरण के समय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संतोषजनक ऋण समीक्षा प्रमाणन तथा संतोषजनक ऋण संचालन की शर्त के अधीन होगा।
7.	**अधिकतम गारंटी कवरेज**	ऊपर खंड III पैरा 2 में दिए गए अनुसार, 5.00 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि। ''ऋण'' का अभिप्राय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों को दिए गए सावधि ऋण/संयुक्त सावधि ऋण है।
8.	**गारंटी दायित्व**	गारंटी दायित्व खंड III पैरा 2 में उल्लिखित चूक की गई राशि तक सीमित होगा । ''चूक राशि'' का अभिप्राय खाता अलाभकारी परिसम्पत्ति बनने की तारीख या दावा आवेदन दायर करने की तारीख से, जो भी पहले हो, को सावधि ऋण के मामले में ऋणी के खाते में बकाया मूलधन और ब्याज तथा बकाया कार्यशील पूंजी सुविधाओं की राशि (ब्याज सहित), जो गारंटी कवर की अधिकतम राशि की शर्त के अधीन होगा।
9.	**सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए प्रतिभूति**	ऋण से सृजित परिसम्पत्ति तथा वित्तपोषित कम्पनी/फर्म/सोसायटी में प्रवर्तकों की शेयरधारिता को गिरवी रखकर।
10.	**ऋण खाते का अनुवर्तन एवं निगरानी**	स्रोत, मंजूरी, दस्तावेजीकरण, निगरानी, अनुवर्तन तथा ऋण की वसूली का पूर्ण दायित्व केवल अनुसूचित जाति के उद्यमों को सहायता देने वाली सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का होगा। किसी भी परिस्थिति में, आईएफसीआई किसी भी कारण से, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, आवेदन की प्राप्ति, मूल्यांकन, मंजूरी, संवितरण, अनुवर्तन, निगरानी और ऋण की वसूली आदि जैसी कार्य-प्रणाली में जवाबदेह नहीं होगा या शामिल नहीं होगा। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की देयताओं और दायित्वों के विवरण **अनुबन्ध-I** में दिए गए हैं।
11.	**गारंटी की शर्तें**	क) इस योजना दस्तावेज में दिए गए निबन्धनों और शर्तों पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को आईएफसीआई द्वारा गारंटी जारी की जाएगी। ख) सदस्यता के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थानों को आईएफसीआई के साथ एक करार निष्पादित करना अपेक्षित होगा। उसके बाद, जैसे ही वे सिद्धांत रूप से अनुसूचित जाति के उद्यमी को ऋण देने के लिए सहमत होंगे, ऋण आवेदन को पंजीकृत करेंगे और उक्त ऋण के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी के प्रति निधियों को अलग रखने के लिए आईएफसीआई से पावती के टोकन के रूप में एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे। केवल टोकन जारी होने का अभिप्राय आईएफसीआई की ओर से वचनबद्धता नहीं होगा। सदस्य ऋणदात्री संस्था ऋण के प्रथम संवितरण के 30 दिन के अंदर, मंजूरी पत्र, संवितरण का साक्ष्य एवं गारंटी शुल्क प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार गारंटी जारी की जाएगी। सदस्य ऋणदात्री

		संस्था द्वारा आईएफसीआई को भेजे जाने वाले अन्तिम मंजूरी की सूचना देने वाले अग्रेषण पत्र में संदर्भ के तौर पर टोकन संख्या का उल्लेख अनिवार्यत: किया जाना चाहिए। सदस्य ऋणदात्री संस्था को आईएफसीआई को द्वारा प्रमाणपत्र देना होगा कि मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया गया है। ग) योजना के तीव्र कार्यान्वयन और व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से, आईएफसीआई के पास टोकन को निरस्त करने का एकमात्र अधिकार आरक्षित होगा और पंजीकरण/टोकन जारी करने की तारीख से 30 कार्य-दिवसों के अंदर यदि आईएफसीआई को सदस्य ऋणदात्री संस्था से अन्तिम मंजूरी पत्र तथा मंजूरी शर्तों की सूचना प्राप्त नहीं होती तो योजना के अधीन अलग से रखी गई निधि का आबंटन किसी अन्य अनुसूचित जाति के उद्यमी को कर दिया जाएगा। घ) आईएफसीआई द्वारा शुल्क डेबिट करने के बाद, निधि (200 करोड़ रुपए का वर्तमान प्रस्तावित कॉर्पस) उपलब्ध होने तक प्रथम आओ, प्रथम पाओ आधार पर गारंटी जारी की जाएगी। आईएफसीआई द्वारा आंशिक या पूर्ण ऋण की पुन:अदायगी या गारंटी निरस्त होने पर, जैसे ही गांरटी के अधीन देयता कम/समाप्त हो जाती है तो आईएफसीआई कम/समाप्त/निरस्त देयता की सीमा तक निधियों के अधिकतम प्रयोग के लिए नए उद्यमियों को नई गारंटी प्रदान करेगा ताकि उपलब्ध कॉर्पस में अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के लाभार्थी शामिल किए जा सकें और योजना के अधीन उन्हें लाभान्वित किया जा सके। ङ) गारंटी कवर गारंटी शुल्क की अदायगी की तारीख से प्रारम्भ होगा और पॉलिसी/योजना दस्तावेज में पारिभाषित निर्धारित समय सीमा के अंदर वार्षिक नवीकरण शुल्क की अदायगी की शर्त के अधीन सावधि ऋण/संयुक्त ऋण के मामले में सावधि ऋण की सहमत समयावधि के अनुसार लागू होगा । च) आईएफसीआई द्वारा जारी की जाने वाली अधिकतम कुल राशि की गारंटियां आईएफसीआई के नो लियन एकाउंट में आईएफसीआई के पास वास्तविक उपलब्ध कार्पस (इस पॉलिसी में पारिभाषित लागू शुल्क की कटौती के बाद और कार्पस राशि पर ब्याज सहित) के अनुरूप होंगी। भावी अतिरिक्त बजटीय आबंटन, यदि कोई हों, के परिणामस्वरूप कार्पस में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ (चालू कॉर्पस आकार 200 करोड़ रुपए है) इस राशि में भी वृद्धि होगी । ***छ) दावा दायर करते समय प्रतिभूति दस्तावेज अनिवार्यत: समय बाधित नहीं होने चाहिएं। यदि प्रतिभूति दस्तावेज समय बाधित हो जाते हैं तो गारंटी प्रभावी करते समय उत्पन्न दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।*** ***ज) योजना के अधीन शामिल किसी भी ऋण प्रक्रिया जैसे ऋण मंजूरी, संवितरण, रखरखाव, निगरानी, पुनरुद्धार तथा परिसम्पत्ति की वसूली में यदि किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था के अधिकारी के विरुद्ध बदनीयती साबित होती है तो गारंटी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।*** ***झ) 2.00 करोड़ रुपए से अधिक ऋण राशि के लिए विभिन्न विभागों की विद्यमान योजनाओं की मार्फत सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा इनक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।*** ञ) सदस्य ऋणदात्री संस्था ऋणी-वार ऋण संवितरण और चूक (यदि कोई हो) सहित बकाया स्थिति के बारे में तिमाही विवरण तिमाही समाप्त होने के 45 दिन के अंदर आईएफसीआई को अनुबन्ध-V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा और आईएफसीआई द्वारा इसकी एक समेकित प्रति सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को उनके अवलोकन व रिकार्ड के लिए भेजी जाएगी । ट) सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति खाते के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद ही गारंटी के अधीन दावा अनुमत्य होगा और वसूली के अन्य सभी प्रयास करने के बाद ही वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी । ठ) आईएफसीआई द्वारा जारी की गई मूल गारंटी के विधिवत विमुक्त होने की प्राप्ति प्राप्त होने पर सदस्य ऋणदात्री संस्था को अदा की गई राशि को नो लियन एकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा । ड) यह स्पष्ट है कि सदस्य ऋणदात्री संस्था देयों की वसूली के लिए तब तक पूर्ण प्रयास करती रहेगी जब तक कि उनके द्वारा मंजूर किए गए ऋणों में से सृजित परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान नहीं हो जाता । सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा इस प्रकार वसूल की गई राशि, आईएफसीआई द्वारा गारंटीकृत राशि की अदायगी के बाद सदस्य ऋणदात्री संस्था और आईएफसीआई द्वारा निम्नानुसार विभाजित जाएगी: • गारंटी के निपटान की तारीख के बाद ऋण की वसूली के लिए किए गए व्यय पहले सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा विनियोजित किए जाएंगे; और उसके बाद • वसूल की गई शेष राशि सदस्य ऋणदात्री संस्था की बहियों (दांडिक ब्याज तथा परिनिर्धारित नुकसानी को छोड़कर) में गारंटी दावा निपटान की तारीख को बकाया ऋण पर आईएफसीआई द्वारा अदा किए गए गारंटी दावे के अनुपात में आईएफसीआई को वितरित की जाएगी। वसूली राशि के वितरण में किसी प्रकार की देरी/कमी और ऐसी वसूली की तारीख से 7 कार्य-दिवसों के बाद आईएफसीआई को वापस भुगतान में देरी होने पर वसूली की तारीख से आईएफसीआई की बेंचमार्क दर पर 300 बेसिस पाइंट से अधिक की दर पर ब्याज लगेगा और सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा इसे अदा किया जाएगा । वसूली के वितरण में की गई ऐसी चूकों की सूचना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए दी जाएगी ।
12.	**ऋण**	सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रदान की गई सावधि ऋण या संयुक्त सावधि ऋण सुविधा लेने के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी।
13.	**गारंटी शुल्क तथा गारंटी पर आईएफसीआई का दायित्व**	क) **भारत सरकार को लागत:** कॉर्पस की प्रारम्भिक स्थापना और योजना लागू करने सम्बन्धी प्रणाली और प्रक्रिया एवं गारंटी जारी करने के लिए एकमुश्त 1.50% (लागू करों को छोड़कर) की दर से एक समान शुल्क। इस योजना के अधीन रखी गई निधि के लिए खोले गए नो लियन एकाउंट को डेबिट करते हुए आईएफसीआई द्वारा यह राशि पहले वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना की समग्र अवधि के दौरान, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बकाया सकल गारंटी पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आईएफसीआई को वार्षिक रखरखाव शुल्क 0.50% प्रतिवर्ष की दर से (लागू करों को छोड़कर) अदा करना होगा।

		ख) **सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को लागत:** प्रथम वर्ष के लिए मंजूर की गई राशि पर 1% प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क (लागू करों को छोड़कर) तथा उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली गारंटी के नवीकरण के लिए बकाया गारंटी वचनबद्धता/देयता का 1% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क (लागू करों को छोड़कर), अन्यथा आईएफसीआई के पास गारंटी के अधीन वचनबद्धता का पालन करने का कोई दायित्व नहीं होगा। यह शुल्क प्रयोज्य करों, यदि कोई हों, को छोड़कर है। तथापि पहले वर्ष का गारंटी प्रीमियम उस वित्तीय वर्ष जिसमें गारंटी जारी की गई है, में बचे शेष दिनों की संख्या में यथानुपात गारंटी के जारी होने के समय वसूल की जाएगी। यदि सम्बन्धित सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा समय पर नवीकरण शुल्क की अदायगी नहीं की जाती तो गारंटी अपने आप निरस्त मानी जाएगी। वार्षिक नवीकरण शुल्क कार्यशील पूंजी सुविधा के नवीकरण के मामले में मंजूर की गई मूल सीमा पर प्रभारित की जाएगी, न की प्रयोग की गई सीमा तक। ग) निहित ऋण के अदा होने पर या गारंटी वैधता अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, गारंटी दायित्व समाप्त हो जाएगा। घ) 31 मार्च को गारंटी कवर से अभिप्राय कुल बकाया सावधि ऋण की सीमा, गैर-निधि आधारित सुविधा सीमाएं और उसी तारीख की स्थिति अनुसार कार्यशील पूंजी की मंजूर की गई सीमा होगा। ***ङ) महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार और सदस्य ऋणदात्री संस्था को लागत: योजना के अधीन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए महिला उद्यमियों के लिए सीमा तक शुल्क न्यूनतर दर पर प्रभारित किया जाएगा आईएफसीआई अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार से 1.50% की बजाय 1.00% तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से 1.00% प्रतिवर्ष की बजाय 0.75% प्रतिवर्ष प्रभारित करेगा।***
14.	**गारंटी का न्यागमन**	आईएफसीआई द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्था से गारंटी के प्रभावी होने/दावे की सूचना का पत्र (गारंटी के प्रभावी होने के पर्याप्त कारणों सहित) प्राप्त होने पर, आईएफसीआई के कांउटर पर गारंटी प्रभावी होने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 (सात) कार्यदिवसों के अंदर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को, लागू की गई गारंटियों की अदायगी पर, उनकी टिप्पणियों/आपत्तियों, यदि कोई हों, के लिए आईएफसीआई द्वारा भेजी जाएगी। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई आपत्तियों, यदि कोई हों, पर सदस्य ऋणदात्री संस्था से इस प्रकार की गई आपत्तियों पर स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे और सदस्य ऋणदात्री संस्था से सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आपत्तियों को अन्तिम माना जाएगा और यह सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होंगी। यदि आईएफसीआई के कांउटर पर गारंटी लागू करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के अंदर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इसे सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र के रूप में मान लिया जाएगा और आईएफसीआई द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्था से दावा प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के अंदर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के उत्तर की और प्रतीक्षा किए बिना आईएफसीआई द्वारा दावों का निपटान कर दिया जाएगा।
15.	**ऋण सुविधा की पुनरावृत्ति**	सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा बेहतर ऋण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, योजना के अधीन संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड तथा प्रथम सुविधा के समापन के बाद, ऐसे अनुसूचित जाति के उद्यमियों/उद्यमों को इस योजना के अधीन गारंटी के लाभ पुन: वित्त प्रदान करके आगे भी दिए जा सकते हैं ।
16.	**अवरुद्ध अवधि**	गारंटी कवर की अवरुद्ध अवधि पिछले संवितरण की तारीख से 12 माह की होगी। यदि अवरुद्ध अवधि के अंदर खाता अलाभकारी परिसम्पत्ति बन जाता है तो आईएफसीआई द्वारा गारंटी के अधीन कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. सौदा स्त्रोत कार्य-नीति:

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती/उचित वित्त प्रदान करने तथा आसानी से वित्त प्राप्त कराने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को ऋण सुविधा गारंटी प्रदान करना है। इसके लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को विशेषाधिकार है कि वे उपयुक्त/पात्र अनुसूचित जाति के उद्यमियों/हितोपयोगियों का पता लगाएं और उन्हें वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करें।

आईएफसीआई नीचे दिए गए अनुसार किसी/अथवा सभी प्रकार से योजना का व्यापक प्रसार करेगा:

- उक्त योजना को शुरू करने का प्रचार प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया की मार्फत व्यापक रूप से किया जाएगा। इसे आईएफसीआई की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा । इसकी सूचना अन्य संस्थाओं, बैंकों, भारतीय बैंक संघ, जिला मजिस्ट्रेट, जिला तथा राज्य स्तरीय बैंकरों की समन्वय समितियों, अग्रणी बैंक अधिकारियों, जिला उद्योग केन्द्रों आदि को दी जाएगी।
- दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की) तथा इसकी विभिन्न शाखाओं से सम्पर्क करना।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा अनुसूचित जाति के अन्य राज्य वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करना।
- आईएफसीआई द्वारा संवर्धित तकनीकी परामर्शदाता संगठनों तथा अन्य संस्थानों, जिनका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी सलाह देना है, को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं, जहां कहीं उनकी पहुंच है, के बीच योजना का प्रसार करने की सलाह दी जाएगी। वे इस निधि का प्रसार भी करेंगे और बैंकों की ओर से परियोजना मूल्यांकन करने में उद्यमियों की सहायता करेंगे और इस प्रकार सुविधा प्रदान करने का कार्य भी करेंगे।

5. भावी बाध्यताएं/अनिश्चितताएं एवं उनका संभावित प्रभाव:

क्र. सं.	बाध्यताएं	प्रभाव
1.	**निधि के पंजीकरण एवं पुनर्संरचना में विलम्ब**	आईएफसीआई द्वारा कॉर्पस की स्थापना करने तथा कार्य-प्रणाली लागू करने के बाद सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं योजना का कार्यान्वयन तत्काल आरम्भ करेंगी। अनुसूचित जाति के हितोपभोगियों का पता लगाने तथा पंजीकरण में विलम्ब होने से योजना का कार्यान्वयन धीमा होगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को इस सम्बन्ध में योजना आरम्भ करने के लिए एक कड़ा संदेश दिया गया है।
2.	**सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा स्त्रोत, मंजूरी, संवितरण में विलम्ब अथवा धीमी गति**	उपर्युक्त के समान।
3.	**योजना का कार्यान्यवन करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही**	योजना की सफलता के लिए योजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के रूप में मूल प्रवर्तक) की जवाबदेही तथा अति सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
4.	**सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा समय पर गारंटी कमीशन की अदायगी न करना**	योजना में दी गई समय सीमा के अंदर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा गारंटी प्रीमियम की अदायगी न करने अथवा विलम्ब से अदायगी करने पर गारंटी कवर को रद्द किया जा सकता है, जिससे अनुसूचित जाति के उद्यमियों का हित प्रभावित हो सकता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजना आरम्भ करते ही इस सम्बन्ध में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को कड़ा संदेश दिया गया है।
5.	**चूक करने वाली कम्पनियों के मामले में प्रतिभूति लागू करना**	चूक होने पर, अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अचल प्रतिभूतियों अथवा उस मामले में चल प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करना एक बाधा हो सकती है ।
6.	**मंजूरी प्रक्रिया में अनुचित पहचान, मूल्यांकन**	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के हितोपभोगियों की अनुचित पहचान तथा अनुपयुक्त मूल्यांकन के कारण चूक हो सकती है । यदि इस योजना का पूर्ण अनुवर्तन नहीं किया जाता तो बहुत अधिक मात्रा में चूक होने के कारण कॉर्पस का तत्काल क्षय हो जाएगा जिससे योजना के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।
7.	**सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा गारंटियों को अनुचित रूप से लागू करना**	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दबाव, यदि कोई हो, के कारण का उपचार करने के लिए वास्तविक उद्यमियों के लिए उपचारात्मक उपाय किए बिना अथवा निवारक कार्य योजना बनाए बिना अनुचित आधार पर गारंटियां लागू करने से योजना की सफलता के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है।

6. अन्य शर्तें:

निधियों के उपयोग तथा प्रबन्धन पर प्रबन्धन सूचना पद्धति:

- योजना के कार्यान्वयन तथा तत्सम्बन्धी निगरानी करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसका प्रमुख आईएफसीआई के कार्यपालक निदेशक से कम पद का नहीं होगा तथा जिसमें कम से कम चार सदस्य (विभाग के अध्यक्ष सहित, जो योजना का शीर्ष अधिकारी होगा) होंगे । इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए निदेशक के स्तर का कम से कम एक नामित सदस्य भी होना चाहिए । गारंटी दावे जारी करने तथा निपटान के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपयुक्त ढांचा आईएफसीआई द्वारा बनाया जाएगा।
- सभी मामलों में दी गई गारंटियों के रिकार्ड बनाना और उनका रखरखाव करना।
- योजना के कार्य-निष्पादन तथा योजना पर प्रतिक्रिया की सूचना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय /भारत सरकार द्वारा निदेशित किसी अन्य विभाग को दी जाएगी।
- योजना के लिए वार्षिक आधार पर आवश्यक लेखा-परीक्षा करवाई जानी है।
- आवेदन अवस्था से मजूरी अवस्था अर्थात के अन्तिम निर्णय तक गारंटी प्रस्ताव के परिपक्व होने के लिए अनुमानित समयावधि लगभग 3-4 माह होगी।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी की विस्तृत योजना

विषय-सूची

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	**प्रस्तावना**		
	1.	शीर्षक तथा आरम्भ होने की तारीख	11
	2.	परिभाषाएं	11
II	**योजना का कार्यक्षेत्र तथा सीमा**		
	3.	आईएफसीआई द्वारा गारंटियां	12
	4.	योजना के अधीन अनुमत्य ऋण सुविधाएं	12
	5.	योजना के अधीन गैर-अनुमत्य ऋण सुविधाएं	12
	6.	ऋणदात्री संस्था द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार	13
	7.	योजना के अधीन ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था के दायित्व	13
III	**गारंटी शुल्क**		
	8.	गारंटी शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क	14
IV	**गारंटियां**		
	9.	गारंटी की सीमा	15
V	**दावे**		
	10.	गारंटी प्रभावी करना	16
	11.	प्रदत्त दावों के कारण अधिकारों तथा वसूलियों का प्रतिस्थापन	16
VI	**विविध**		
	12.	ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन	17
	13.	गारंटी के प्रभावी होने के बाद किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणदात्री एजेंसी द्वारा वसूल की गई राशि का विनियोजन	17
	14.	कतिपय मामलों में आईएफसीआई का दायित्व समाप्त हो जाना	17
	15.	विवरणियां व निरीक्षण	17
	16.	योजना के अधीन लगाई गई शर्तें ऋणदात्री संस्थाओं पर बाध्यकर होना	17
	17.	आशोधन व छूटें	17
	18.	निर्वचन	17
	19.	पूरक तथा सामान्य उपबन्ध	17

अध्याय I

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

प्रस्तावना

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से आईएफसीआई द्वारा योजना बनाने के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाई जाती है:

1. शीर्षक तथा आरम्भ होने की तारीख:

(i) योजना को अनुसूचित जातियों के लिए ऋण सुविधा गारंटी योजना के नाम से जाना जाएगा।

(ii) यह योजना 2014-15 के दौरान प्रभावी होगी।

(iii) इस योजना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजना के अनुमोदन की तारीख से पात्र ऋणियों को ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमत्य ऋण वृद्धि प्रदान करना शामिल है।

2. परिभाषाएं:

इस योजना के उद्देश्य से -

(i) ''चूक की राशि'' का अभिप्राय खाता अलाभकारी परिसम्पत्ति बनने की तारीख अथवा दावा आवेदन दायर करने की तारीख, जो भी गारंटी कवर की अधिकतम राशि के अनुसार पहले हो, को सावधि ऋण अथवा संयुक्त सावधि ऋण (ब्याज सहित) के सम्बन्ध में ऋणी के खाते (खातों) में बकाया मूलधन और ब्याज राशि है।

(ii) ''सम्पार्श्विक प्रतिभूति'' का अभिप्राय किसी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी ऋणी को प्रदान की गई ऋण सुविधा के सम्बन्ध में प्रमुख प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रदान की गई प्रतिभूति है।

(iii) ''ऋण सुविधा'' का अभिप्राय पात्र ऋणी को ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रदान किए गए सावधि ऋण या संयुक्त सावधि ऋण की सुविधा के रूप में कोई वित्तीय सहायता है। गारंटी शुल्क के परिकलन के लिए प्रदान की गई ऋण सुविधा का अभिप्राय किसी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी ऋणी को वित्तीय सहायता के लिए की गई वचनबद्धता तथा संवितरित की गई राशि होगा।

(iv) ''पात्र ऋणी'' का अभिप्राय मुख्य योजना के खण्ड III के पैरा 3 के अधीन यथासमाहित अनुसूचित जाति के उद्यमी हैं जिन्हें ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी और/अथवा जो पात्रता मापदण्ड में परिभाषित किसी सीमित श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती, के बिना ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

(v) ''गारंटी कवर'' का अभिप्राय ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा के सम्बन्ध में चूक की राशि के प्रत्येक पात्र ऋणी को उपलब्ध अधिकतम कवर है।

(vi) ''ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं)/सदस्य ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं)'' का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में इस समय शामिल कोई वाणिज्यिक बैंक और आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य संस्थान है। आईएफसीआई उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने पर पात्र संस्थानों की सूची से किसी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को हटा सकता है।

(vii) ''कार्यान्वयन तारीख'' का अभिप्राय वह तारीख है, जिस तारीख को पात्र संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र ऋणी के सम्बन्ध में समाहित राशि पर गारंटी शुल्क आईएफसीआई को देय हो जाता है।

(viii) ''अलाभकारी परिसम्पत्तियों'' का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/मार्गनिर्देशों के आधार पर अलाभकारी परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कोई परिसम्पत्ति है।

(ix) ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ''प्रमुख प्रतिभूति'' का अभिप्राय इस प्रकार प्रदान की गई ऋण सुविधा से सृजित परिसम्पत्तियां और/अथवा **विद्यमान गैर-भारग्रस्त परिसम्पत्तियां** होंगी, जो परियोजना या कारोबार, जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई है, से सीधे ही जुड़ी हुई हैं।

(x) किसी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था के लिए ''आधार दर'' का अभिप्राय उपयुक्त समय सीमा/ समयावधि, जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई है, के लिए ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा इस प्रकार घोषित दर है।

(xi) ''योजना'' का अभिप्राय अनुसूचित जातियों के लिए ऋण सुविधा गारंटी योजना है।

(xii) ''गारंटी कवर की अवधि'' का अभिप्राय **गारंटी आरम्भ होने** की तारीख, जो सावधि ऋण या संयुक्त सावधि ऋण की सहमत अवधि के दौरान लागू रहेगी अथवा ऋण **समाप्त होने की तारीख**, जो भी पहले हो, 7 वर्ष की अधिकतम अवधि की शर्त के अधीन, गारंटी कवर की अधिकतम अवधि है।

(xiii) ''निधि'' का अभिप्राय भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई के पास स्थापित ऋण सुविधा गारंटी निधि और पात्र अनुसूचित जाति के ऋणियों को ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं)/सदस्य ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं) द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा (सुविधाओं) की गारंटी देने के प्रयोजन से नो लियन एकाउंट में रखी गई निधि है।

(xiv) ''संयुक्त ऋण'' का अभिप्राय सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा का संयोजन है। कार्यशील पूंजी और गैर-निधि आधारित सुविधाएं केवल सावधि ऋण सुविधा के साथ ही ली जा सकती हैं न कि अलग-अलग।

अध्याय II
योजना का कार्य-क्षेत्र तथा सीमा

3. आईएफसीआई द्वारा गारंटियां:

(i) योजना के अन्य उपबन्धों के अधीन, आईएफसीआई किसी पात्र संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था, जिसने उक्त ऋण सुविधाओं के कारण गारंटी प्रदान करने के लिए आईएफसीआई के साथ इस प्रयोजन के लिए **आवश्यक करार** निष्पादित किया है, द्वारा समय-समय पर किसी पात्र ऋणी को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में वचन देता है।

(ii) आईएफसीआई के पास ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव, चाहे यह योजना के अन्य मानदण्डों को अन्यथा पूरा करता हो, को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है।

4. योजना के अधीन कवर के लिए अनुमत्य ऋण सुविधाएं:

इस योजना में परिचालनात्मक मार्गनिर्देशों के खण्ड III के पैरा 1 के अधीन यथापरिभाषित किसी एक पात्र ऋणी को, आईएफसीआई के साथ एक करार निष्पादित करने पर अथवा उसके बाद किसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्षकार गारंटियों और/अथवा परिचालनात्मक मार्गनिर्देशों के खंड III के पैरा 1 में पात्रता मानदण्ड में पारिभाषित किसी सीमित श्रेणी के अधीन न आने वाली प्रतिभूति के बिना ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं)/सदस्य ऋणदात्री संस्था(संस्थाओं) द्वारा सावधि ऋण अथवा संयुक्त सावधि ऋण सुविधाओं के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधाएं और आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत राशियां शामिल हैं। बशर्ते कि कार्यान्वयन की तारीख को:

(i) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को देय राशियां अलाभकारी परिसम्पत्तियां और/अथवा वसूली के लिए अशोध्य व संदिग्ध न बनी हों; और/अथवा

(ii) ऋणी का कारोबार या क्रियाकलाप, जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई है, बंद न हो गया हो; और/अथवा

(iii) आईएफसीआई से इस सम्बन्ध में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना वसूली के लिए अशोध्य व संदिग्ध माने गए किन्हीं ऋणों के समायोजन के लिए इस ऋण सुविधा का पूर्णत: या अंशत: उपयोग न किया गया हो।

पात्र ऋणी को एक या एक से अधिक बैंक और/अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से और/अथवा अलग-अलग रूप से प्रदान की गई ऋण सुविधा और परिचालन मार्गनिर्देशों **(खण्ड III के पैरा 2)** में यथापरिभाषित प्रति ऋणी अधिकतम सीमा तक ।

5. योजना के अधीन गैर-अनुमत्य ऋण सुविधाएं:

इस योजना के अधीन निम्नलिखित ऋण सुविधाएं गारंटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी:

(i) ऐसी कोई ऋण सुविधा, जिसके सम्बन्ध में डिपोजिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या सिडबी द्वारा परिचालित/संचालित किसी योजना के अधीन जोखिमों, जिस सीमा तक उन्हें शामिल किया गया है, को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

(ii) ऐसी कोई ऋण सुविधा जिसके सम्बन्ध में सरकार अथवा किसी सामान्य बीमाकर्ता या बीमा गारंटी या क्षतिपूर्ति का कारोबार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा जोखिमों, जिस सीमा तक उन्हें शामिल किया गया है, को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

(iii) कोई ऐसी ऋण सुविधा जो केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी कानून के उपबन्धों या किसी निदेशों या अनुदेशों, जो उस समय लागू हैं, के अनुरूप नहीं हैं अथवा किसी प्रकार से असंगत हैं ।

(iv) किसी ऋणी, जिसने योजना के अधीन अथवा ऊपर खण्ड (i), (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अधीन कोई अन्य ऋण सुविधा स्वयं प्राप्त की है, को प्रदान की गई ऋण सुविधा और जहां ऊपर खण्ड (i), (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अधीन ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा गारंटी प्रभावी कर दी गई है, परंतु ऊपर खण्ड (i), (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अधीन उस ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणी की ओर से किसी चूक के कारण, जैसी भी स्थिति हो, देय राशि के किसी भाग की अदायगी न की हो।

(v) ऐसी ऋण सुविधा, जिसकी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा सम्पार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के मद्दे मंजूरी दी गई हो।

(vi) ऐसी ऋण सुविधा जिसकी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था की आधार दर से 3% से अधिक की ब्याज दर से मंजूरी दी गई हो।

(vii) जिन ऋण सुविधाओं का सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा पूर्णत: संवितरण नहीं किया गया है। यदि ऋण का पूर्णत: संवितरण नहीं किया गया है तो सदस्य ऋणदात्री संस्था कवर को अनुमत्य बनाने के लिए मंजूर की गई पूर्ण सीमा का संवितरण न करने के पर्याप्त तथा आश्वस्त कारणों की जानकारी आईएफसीआई को देगा। दावे पर विचार करने का आईएफसीआई का निर्णय अन्तिम होगा और सदस्य ऋणदात्री संस्था पर बाध्यकर होगा।

6. ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार:

कोई भी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था प्रदान की गई किसी अनुमत्य ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारंटी प्राप्त करने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने योजना के अधीन ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रदान की गई अनुमत्य सभी ऋण सुविधाओं की गारंटी के रूप में कवर के लिए आईएफसीआई द्वारा यथापेक्षित ऐसे रूप में आईएफसीआई के साथ एक करार, जिसके लिए योजना में उपबन्ध किया गया है, निष्पादित न किया हो।

7. योजना के अधीन ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था के दायित्व:

(i) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था विवेकसम्मत बैंकिंग निर्णयों का उपयोग करते हुए ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने में अपने कारोबारी स्व-विवेक का उपयोग करेगी और गुणावगुण विश्लेषण करेगी एवं सामान्य बैंकिंग विवेकसम्मत मापदण्डों के अनुरूप ऋणियों के खातों का संचालन करेगी।

(ii) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था ऋणी के खाते का बारीकी से अनुवर्तन करेगी।

(iii) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋण से ली गई प्रमुख प्रतिभूतियों को उचित तथा प्रवर्तनीय स्थिति में सुरक्षित रखेगी।

(iv) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण सुविधा तथा ऋणी के सम्बन्ध में गारंटी दावा आईएफसीआई के पास उस रूप में और उस प्रकार से तथा ऐसे समय में जमा कराया जाता है जो इस सम्बन्ध में आईएफसीआई द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और कि उसकी ओर से ऋणी के खाते में चूक के बारे में सूचना देने में कोई विलम्ब नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप आईएफसीआई के पास उच्चतर राशि के गारंटी दावे आ सकते हैं।

(v) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे की अदायगी करना किसी भी प्रकार से ऋणी से ऋण की समग्र बकाया राशि वसूल करने के ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था के दायित्व को लेना नहीं है। ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था समग्र आवश्यक सावधानियां बरतेगी और स्वयं द्वारा ली गई ऋण सुविधा की समग्र राशि के लिए ऋणी से अपने वसूली अधिकार को बनाए रखेगी तथा बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई, जिसमें आईएफसीआई द्वारा सूचित की गई कार्रवाई भी शामिल है, आरम्भ करेगी।

(vi) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था गारंटी दिए गए खाते में वसूलियां करने या गारंटीकर्ता के रूप में अपने हितों की सुरक्षा करने, जैसा भी आईएफसीआई द्वारा उचित समझा जाए, के लिए आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करेगी और ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

(vii) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था गारंटी दिए गए किसी खाते के सम्बन्ध में देय राशियों की वसूलियां करने और इसके पास उपलब्ध सभी उपायों से आईएफसीआई के हितों की सुरक्षा करेगी और उसी तरह के उपाय करेगी जो कि आईएफसीआई द्वारा गारंटी न देने की स्थिति में सामान्यत: किए जाते हों। ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था विशेष रूप से गारंटी प्रभावी होने से पूर्व अथवा उसके बाद किसी भूल-चूक के कार्य से बचेगी, जिससे गारंटीकर्ता के रूप में आईएफसीआई के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था कोई समझौता अथवा व्यवस्था, जिसका व्यक्तिगत गारंटी (गारंटियों) या प्रतिभूति समाप्त करने या छूट देने का प्रभाव आईएफसीआई पर पड़ सकता है, करते समय आईएफसीआई को सूचित करेगा। ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था या तो ऋणी के साथ करार में अथवा अन्यथा ऐसी शर्त की मार्फत यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह आईएफसीआई को सूचित किए बिना अपने पास अथवा अन्य किसी लेनदार के पक्ष में गारंटी द्वारा कवर न किए गए किसी खाते को लाभ पहुंचाने के लिए, गारंटी द्वारा कवर किए गए खाते में धारित प्रतिभूति पर कोई प्रभार सृजित नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था आईएफसीआई की वेबसाइट में चूक करने वाले ऋणियों के नाम तथा उनके विवरण की सूची देने के लिए, ऋणी के साथ अथवा अन्यथा किसी करार में एक शर्त की मार्फत आईएफसीआई अथवा अपनी नियुक्त एजेंसी के अधिकार की सुरक्षा करेगी।

(viii) 2.00 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए विभिन्न विभागों की विद्यमान योजनाओं की मार्फत सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा इनक्यूबेशन सुविधा दी जाएगी।

(ix) जिन मामलों में ऋण प्रक्रिया अर्थात् ऋण की मंजूरी, संवितरण, रखरखाव, अनुवर्तन, पुनरुद्धार तथा योजना के अधीन समाहित परिसम्पत्ति की वसूली करने में सदस्य ऋणदात्री संस्था के किसी अधिकारी की बदनीयता सिद्ध हो जाती है तो गारंटी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय III
गारंटी शुल्क

8. आईएफसीआई को गारंटी शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क:

भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई को अदा किया जाने वाला शुल्क: प्रत्येक निकाय (200 करोड़ रुपए का घोषित प्रथम निकाय) की प्रारम्भिक स्थापना और योजना के समावेश के लिए प्रणाली और कार्य-विधियों बनाने के लिए 1.50% की एक समान (लागू करों को छोड़कर) दर से सीमांतक शुल्क एवं योजना की अवधि के दौरान, योजना के वार्षिक रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में 0.50% प्रतिवर्ष की दर से (लागू करों को छोड़कर) वार्षिक रखरखाव शुल्क। यह वार्षिक अदायगी आईएफसीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सकल बकाया गारंटी पर प्रभारित की जाएगी। जैसे ही योजना परिचालनरत हो जाती है, 1.50% का सीमांतक शुल्क नो लियन एकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वार्षिकीय आधार पर नो लियन एकाउंट को डेबिट करते हुए **आईएफसीआई** द्वारा वार्षिक रखरखाव शुल्क की वसूली की जाएगी।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से आईएफसीआई को अदा किया जाने वाला शुल्क: प्रथम वर्ष के लिए ऋण राशि (सावधि ऋण या संयुक्त सावधि ऋण सहित) पर 1% प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क (लागू करों को छोड़कर) तथा उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात् प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली गारंटी के नवीकरण के लिए बकाया गारंटी वचनबद्धता/देयता का 1% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क (लागू करों को छोड़कर)। उस वर्ष 31 मई तक या विनिर्दिष्ट अन्य किसी तारीख तक नवीकरण शुल्क की अदायगी न करने पर योजना के अन्तर्गत गारंटी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जब तक आईएफसीआई गारंटी जारी रखने की सहमति नहीं दे देता और ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था उसके बाद 1 जून से आईएफसीआई की वार्षिक बेंचमार्क दर से 4% अधिक या विलम्ब की अवधि के लिए आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी दरों पर देय तथा अप्रदत्त नवीकरण शुल्क पर दांडिक ब्याज देगा। कार्यशील पूंजी सुविधा के मामले में वार्षिक नवीकरण शुल्क मंजूर की गई राशि पर प्रभारित होगा, न की प्रयोग की गई सीमा तक।

- बशर्ते यह भी कि यदि निर्धारित समयावधि अथवा ऐसी प्रवर्धित अवधि, जिस पर आईएफसीआई द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमति दी जाती है, के अंदर वार्षिक नवीकरण शुल्क की अदायगी नहीं की जाती तो ऐसी ऋण सुविधा पर गारंटी देने के लिए आईएफसीआई की देयता उस ऋण सुविधा के सम्बन्ध में व्यपगत हो जाएगी, जिसके प्रति नवीकरण शुल्क देय तथा अप्रदत्त रहे हैं।

- बशर्ते यह भी कि आईएफसीआई स्वयं द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निबन्धनों और शर्तों पर ऐसी ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर के नवीकरण पर विचार कर सकता है।

- राशियों के परिगणन या गारंटी शुल्क/वार्षिक नवीकरण शुल्क के परिकलन में पाई गई किसी गलती या विसंगति या कमी के मामले में ऐसी विसंगति/कमी की राशि की अदायगी पात्र ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा आईएफसीआई की बेंच मार्क दर से चार प्रतिशत अधिक की दर से अथवा आईएफसीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर ऐसी राशि की ब्याज सहित अदायगी आईएफसीआई की जाएगी। यदि कोई राशि निर्धारित राशि से अधिक अदा की गई हो तो इसे आईएफसीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा यदि कोई प्रतिवेदन किया जाता है तो आईएफसीआई अपने पास उपलब्ध सूचना तथा ऋणदात्री संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर निर्णय लेगा और इसका निर्णय अन्तिम होगा और यह ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था पर बाध्यकर होगा।

- पात्र ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा देय गारंटी शुल्क और/अथवा नवीकरण शुल्क की समकक्ष राशि की वसूली पात्र ऋणी से उसके द्वारा अपने स्व-विवेक की जा सकती है।

- यदि ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा गारंटी शुल्क और/अथवा वार्षिक नवीकरण शुल्क की अदायगी कर दी जाती है तो वह वापस नहीं की जाएगी। गारंटी शुल्क/वार्षिक नवीकरण शुल्क निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर वापस नहीं किया जाएगा:

(i) निर्धारित राशि से अधिक धन-प्रेषण,

(ii) उसी ऋण आवेदन के लिए एक से अधिक बार किया गया धन-प्रेषण,

(iii) देय नहीं गारंटी शुल्क और/अथवा वार्षिक नवीकरण शुल्क,

(iv) अग्रिम रूप से अदा किया गया गारंटी शुल्क परंतु योजना के अधीन गारंटी कवर के लिए आवेदन का अनुमोदन न होने पर, आदि।

- ***महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को लागत: योजना के अधीन महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला उद्यमियों के लिए सीमांतक शुल्क न्यूनतर दर पर प्रभारित किया जाएगा। आईएफसीआई अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों के मामले में भारत सरकार से 1.50% की बजाय 1.00% तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से 1.00% प्रतिवर्ष की बजाय 0.75% प्रतिवर्ष प्रभारित करेगा।***

अध्याय IV
गारंटियां

9. गारंटी की सीमा राशि

आईएफसीआई निम्नानुसार गारंटी प्रदान करेगा:

श्रेणी	मापदण्ड	(करोड़ रुपए)		
	ऋण राशि दायित्व	**0.25 से 2.00**	**2.00 से अधिक 5.00 तक#**	**5.00 से अधिक#**
पंजीकृत कम्पनियां	**गारंटी दायित्व की राशि**	मंजूर की गई सुविधा का 80%	मंजूर की गई सुविधा का 70%	मंजूर की गई सुविधा का 60%
	गारंटी का दायित्व	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 80%	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 70%	भुगतान में चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 60%
	उपलब्ध न्यूनतम गारंटी राशि	**0.20**	1.60	3.50
	उपलब्ध अधिकतम गारंटी राशि	1.60	3.50	5.00
पंजीकृत साझेदार फर्में व समितियां	**गारंटी दायित्व की राशि**	मंजूर सुविधा का 60%		
	ऋण राशि के गारंटी कवर का %	चूक होने पर अधिकतम गारंटी-कवर की राशि की शर्त के अधीन राशि का 60%		
	उपलब्ध न्यूनतम गारंटी राशि	**0.15**		
	उपलब्ध अधिकतम गारंटी राशि	5.00		

#2.00 करोड़ रुपए से अधिक ऋण राशि के लिए विभिन्न विभागों की विद्यमान योजनाओं की मार्फत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा इनक्यूबेशन सुविधा प्रदान की जाएगी।

अतिरिक्त विवरणों के लिए कृपया मुख्य नीति के **खंड III के पैरा 3** तथा उसमें निर्दिष्ट तालिका देखें।

गारंटी की मंजूरी के सभी प्रस्तावों को सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा आन्तरिक रूप से रेटिंग दी जाएगी और यह निवेश ग्रेड के होने चाहिएं । भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई के पास निधि स्थापित करने के बाद सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना के अधीन गारंटी कवर के लिए प्रात्र होंगे।

गारंटी कवर गारंटी शुल्क की अदायगी की तारीख से प्रारम्भ होगा और पॉलिसी/योजना दस्तावेज में पारिभाषित निर्धारित समय सीमा के अंदर वार्षिक नवीकरण शुल्क की अदायगी की शर्त के अधीन सावधि ऋण/संयुक्त ऋण के सम्बन्ध में सावधि ऋण की सहमत समयावधि के दौरान लागू रहेगा।

अध्याय V

दावे

10. गारंटी प्रभावी करना:

(i) निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था खाता अलाभकारी बनने की तारीख से 1 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंदर ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारंटी प्रभावी कर सकती है:

क) खाता अलाभकारी बनने के समय तथा दावा दायर करने के समय उस ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारंटी ।

ख) ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को देय तथा अदा की जाने वाली राशि अदा न की गई हो और ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा देय राशियों को अनर्जक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। बशर्ते कि ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में आईएफसीआई पर कोई दावा नहीं करेगी/दावा करने की पात्र नहीं होगी यदि उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में इस नीति या समय-समय पर संशोधित किसी नीति तथा योजना के अधीन समाहित ऋण की मंजूरी की मूल शर्तों में निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों के विपरीत अथवा के उल्लंघन में की गई कार्रवाई/निर्णयों के कारण हानि होती है।

ग) ऋण सुविधा को वापस मांगा गया हो और विधि की प्रक्रिया के अनुसार वसूली कार्रवाई आरम्भ कर दी गई हो। एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अधीन ऋण वापस मांगने का नोटिस जारी हो जाने को ही दावे को वरीयता देने के प्रयोजन से कार्रवाई आरम्भ होना नहीं माना जा सकता। सदस्य ऋणदात्री संस्था को यह सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में यथानिर्दिष्ट अगली कार्रवाई कर सकती हैं, जबकि प्रतिभूत लेनदार गारंटी दी गई राशि की प्रथम किस्त के लिए दावा प्रस्तुत करने से पूर्व उसमें दिए गए वसूली के चार उपायों में से किसी एक या एक से अधिक उपायों का आश्रय ले सकता है। यदि सदस्य ऋणदात्री संस्था उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में यथानिर्दिष्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो वह प्रयोज्य अन्य किसी विधि के अधीन नए सिरे से वसूली प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है और आईएफसीआई से प्रथम किस्त के लिए दावा मांग सकता है।

घ) यदि खाता अवरुद्ध अवधि के अंदर अनर्जक परिसम्पत्ति बन जाता है तो गारंटी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा दावे को उसी प्रकार तथा उसी समय में वरीयता दी जानी चाहिए जो कि इस सम्बन्ध में आईएफसीआई द्वारा विशेष रूप से विनिर्धारित किया गया हो।

(iii) आईएफसीआई ऋणदात्री संस्था द्वारा अनुमत्य दावे की वरीयता पर गारंटी दी गई राशि की 75% राशि 30 दिन के अंदर अदा करेगा बशर्ते कि दावा सभी प्रकार से उचित और पूर्ण पाया जाए। आईएफसीआई 30 दिन के बाद विलम्ब की अवधि के लिए लागू विद्यमान बैंक आधार दर पर अनुमत्य दावा राशि पर ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को ब्याज की अदायगी करेगा । गारंटी दी गई राशि की 25% शेष राशि ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूली कार्रवाई पूर्ण होने पर अदा की जाएगी। दावे की अदायगी होने पर आईएफसीआई को सम्बन्धित ऋणी के सम्बन्ध में लागू गारंटी के लिए अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गया माना जाएगा ।

(iv) चूक के मामले में ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था ऋणी की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए अपने अधिकार, यदि कोई हों, का प्रयोग करेगी और ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री से अथवा अन्यथा वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, को गारंटी दी गई राशि के शेष 25% भाग का दावा करने से पूर्व ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा आईएफसीआई के खाते में इसके द्वारा पूर्णत: क्रेडिट कर दी जाएगी, जिसका विनियोजन निम्नानुसार किया जाएगा:

आईएफसीआई द्वारा गारंटी दी गई राशि की अदायगी होने के बाद सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि को निम्नानुसार सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा आईएफसीआई में बांटा जाएगा:

- गारंटी के निपटान की तारीख के बाद ऋण की वसूली पर किए गए व्यय सर्वप्रथम सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा समायोजित किए जाएंगे और; उसके बाद
- वसूल की गई शेष राशि को सदस्य ऋणदात्री संस्था की खाता बहियों में (दांडिक ब्याज तथा परिनिर्धारित नुकसानी को छोड़कर) गारंटी दावे के निपटान की तारीख को बकाया ऋण तथा आईएफसीआई द्वारा अदा किए गए गारंटी दावे के अनुपात में आईएफसीआई को वितरित किया जाएगा।

(v) यदि ऋण सुविधा के मूल्यांकन/नवीकरण/अनुवर्तन/संचालन के मामले में कोई गम्भीर विसंगति पाए जाने पर आईएफसीआई द्वारा ऋण वापस मांगा जाता है अथवा जहां दावा एक से अधिक बार दायर किया जाता है अथवा जहां दावों के निपटान में ऋणदात्री संस्था की ओर से कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई जाती है तो ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को आईएफसीआई द्वारा दी गई दावे की राशि तथा उस समय लागू बैंक दर से 4% से अधिक की दर से दांडिक ब्याज वापस करना होगा । ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था आईएफसीआई द्वारा मांग करने पर आईएफसीआई द्वारा दावे के आरम्भ होने की तारीख से दावे की राशि की वापसी की तारीख तक ऐसे दांडिक ब्याज की अदायगी करेगा।

(vi) योजना के अधीन शामिल किसी भी ऋण प्रक्रिया जैसे ऋण मंजूरी, संवितरण, रखरखाव, निगरानी, पुनर्वास तथा परिसम्पत्ति की वसूली में यदि किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था के अधिकारी के विरुद्ध बदनीयती साबित होती है तो गारंटी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) दावा दायर करते समय प्रतिभूति दस्तावेज अनिवार्यत: समय बाधित नहीं होने चाहिएं। यदि प्रतिभूति दस्तावेज समय बाधित हो जाते हैं तो गारंटी प्रभावी करते समय उत्पन्न दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के सम्बन्धित परिचालन कार्यालयों से भिन्न किसी शाखाओं अथवा कार्यालयों से सीधे ही प्राप्त होने वाले गारंटी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सदस्य ऋणदात्री संस्था नोडल कार्यालय बनाएगी, जिनकी मार्फत दावे आईएफसीआई को भेजे जाएंगे।

11. प्रदत्त दावों के कारण अधिकारों तथा वसूलियों का प्रतिस्थापन:

(i) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को वसूली के लिए अपने प्रयासों, वसूलियों के विवरण और ऐसी अन्य सूचना जो समय समय पर मांगी जाएगी या अपेक्षित होगी, आईएफसीआई को भेजनी होगी। ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था का ऋणी को प्रदान की गई ऋण सुविधा में से सृजित परिसम्पत्तियों पर अपनी ओर से और आईएफसीआई की ओर से पुनर्ग्रहणाधिकार रखेंगी। खाते के अनर्जक परिसम्पत्ति बनने पर, आईएफसीआई कानूनी और वसूली प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा और यह कि परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, परिसम्पत्तियों की बिक्री आदि सहित देय राशियों की वसूली का दायित्व ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था का ही होगा। तथापि यदि परिस्थितियोंवश आईएफसीआई को ऐसा करना अपेक्षित हो तो आईएफसीआई सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की अनुमति से, विधिक कार्यवाही शीघ्र करने के लिए अपने एडवोकेट/वसूली एजेंट की नियुक्ति कर सकता है।

(ii) यदि किसी ऋणी ने ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था से कई भिन्न-भिन्न और अलग-अलग ऋण लिए हों और वह इसके लिए किसी एक या एक से अधिक अदायगियां कर रहा हो, चाहे वह खाता, जिसमें अदायगी की जा रही है, आईएफसीआई की गारंटी द्वारा समाहित किया हो अथवा नहीं, ऐसी स्थिति में ये अदायगियां इस खण्ड के प्रयोजन से ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा गारंटी द्वारा समाहित ऋण में विनियोजित की गई मानी जाएंगी और जिसके सम्बन्ध में किसी दावे को वरीयता दी जाती है और अदायगी की जाती है, चाहे ऐसे ऋणी द्वारा इंगित विनियोजन का तरीका अथवा वास्तव में विनियोजित की गई ऐसी अदायगियों का तरीका कुछ भी क्यों न हो।

(iii) वसूल की गई तथा आईएफसीआई को अदा की जाने वाली प्रत्येक देय राशि बिना किसी विलम्ब के अदा की जाएगी और यदि आईएफसीआई को देय कोई राशि, पहले की गई वसूली की तारीख से 30 दिन की अवधि के बाद भी अदा नहीं की जाती तो ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूली की तारीख से उस अवधि, जिसके लिए अदायगी बकाया रहती है, के लिए बैंक दर से 4% अधिक की दर से ब्याज की अदायगी की जाएगी।

अध्याय VI
विविध

12. ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन:

ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि को इस क्रम में विनियोजित किया जाएगा, जिसमें नवीकरण शुल्क, दांडिक ब्याज और अन्य प्रभार देय हो चुके होंगे। यदि नवीकरण शुल्क और दांडिक ब्याज एक ही तारीख को देय हो जाते हैं तो पहले नवीकरण शुल्क तथा उसके बाद दांडिक ब्याज और अन्त में अनुमत्य ऋण सुविधा के सम्बन्ध में देय अन्य किसी प्रभार के प्रति विनियोजित किया जाएगा।

13. गारंटी के प्रभावी हो जाने के बाद किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूल की गई राशि का विनियोजन:

आईएफसीआई द्वारा गारंटी दी गई प्रारम्भिक राशि की अदायगी के बाद (चूक की राशि का 75%), सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा आईएफसीआई द्वारा निम्नलिखित ढंग से बांटा जाएगा:

गारंटी के निपटान की तारीख के बाद ऋण की वसूली के लिए किए गए व्यय पहले सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा विनियोजित किए जाएंगे और उसके बाद वसूल की गई शेष राशि सदस्य ऋणदात्री संस्था की बहियों (दांडिक ब्याज तथा परिनिर्धारित नुकसानी को छोड़कर) में गारंटी दावा निपटान की तारीख को बकाया ऋण पर आईएफसीआई द्वारा अदा किए गए गारंटी दावे के अनुपात में आईएफसीआई को वितरित की जाएगी।

14. कतिपय मामलों में आईएफसीआई का दायित्व समाप्त हो जाना:

(i) यदि ऋणी की देयताएं इस योजना के अधीन गारंटीशुदा किसी अनुमत्य ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था को अन्तरित कर दी जाती हैं अथवा किसी अन्य ऋणी को सौंप दी जाती हैं और यदि उक्त अन्तरण या सुपुर्दगी के बाद ऋणी की पात्रता तथा सुविधा की राशि से सम्बन्धित शर्तें व अन्य कोई निबन्धन तथा शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन योजना के अधीन ऋण सुविधा के लिए गारंटी दी जा सकती है, पूरी नहीं की जाती तो ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारंटी उक्त अन्तरण अथवा सुपुर्दगी की तारीख से समाप्त हो गई मानी जाएंगी।

(ii) यदि कोई ऋणी योजना के अधीन प्रदान की जा रही किसी ऋण सुविधा के लिए अपने किसी कार्य के कारण उससे अलग हो जाने के कारण अपात्र हो जाता है अथवा बिन्दु सं. 6.1 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार पात्र ऋणी की परिभाषा के अन्तर्गत अपने किसी कार्य के कारण उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है तो योजना के अधीन ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा उसे प्रदत्त किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में आईएफसीआई की देयता, उस तारीख जिसको ऋणी इस प्रकार अपात्र हो जाता हो जाता है, ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था की ऋणी की देयता इस योजना के अधीन निर्धारित आईएफसीआई की देयता की सीमा तक सीमित हो जाएगी । तथापि जहां कहीं ऋणी एक साझेदारी फर्म है के मामले में एक साझेदार की मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति अथवा संयुक्त ऋणी के मामले में किसी एक की मृत्यु होने के बावजूद यदि ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था जीवित साझेदार अथवा साझेदारों अथवा जीवित ऋणी अथवा ऋणियों, जो बिन्दु संख्या 6.1 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार पात्र ऋणी की परिभाषा के अन्तर्गत पात्र ऋणी के मानदण्ड को पूरा करता है, जैसी भी स्थिति हो, को ऋण सुविधाएं देना जारी रखने का पात्र होता है और यदि ऋण सुविधाएं पहले ही अलाभकारी परिसम्पत्ति नहीं बन चुकी होती तो ऐसी ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में गारंटी इस पैराग्राफ में दिए गए अनुसार समाप्त हुई नहीं मानी जाएगी।

15. विवरणियां व निरीक्षण:

(i) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था आईएफसीआई को ऐसे सभी विवरण और सूचनाएं भेजेगा जो आईएफसीआई द्वारा इस योजना के अधीन किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में अपेक्षित हों ।

(ii) ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था ऐसे सभी प्रलेख, रसीदें, प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेज भी भेजेगा जो आईएफसीआई द्वारा अपेक्षित हों और जिन्हें इस बात की पुष्टि माना जाएगा कि ऐसे प्रलेख, रसीदें, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु सही है जिससे कि कोई दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सद्भाव में किए गए किसी कार्य के लिए कोई देयता ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था अथवा उसके किसी अधिकारी से सम्बद्ध नहीं होगी ।

(iii) जहां तक इस योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा जाए आईएफसीआई को ऋणदात्री संस्था और सदस्य ऋणदात्री संस्था के किसी ऋणी की खाता बहियों तथा अन्य रिकार्डों (अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या अग्रिम के संचालन से सम्बन्धित सामान्य अनुदेशों वाले परिपत्रों) की प्रतियों का निरीक्षण करने तथा उन्हें मंगाने का अधिकार होगा । ऐसा निरीक्षण या तो आईएफसीआई के अधिकारियों या निरीक्षण के प्रयोजन से आईएफसीआई द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की मार्फत किया जा सकता है। ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था का प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी या ऋणी, जो ऐसा करने की स्थिति में होता है, द्वारा खाता बहियां और अन्य रिकार्ड एवं सूचना, जो भी उसके पास हों, आईएफसीआई के अधिकारियों अथवा निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को उपलब्ध कराएगा ।

16. योजना के अधीन लगाई गई शर्तें ऋणदात्री संस्थाओं/सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं पर बाध्यकर होना:

(i) आईएफसीआई द्वारा दी गई किसी गारंटी को योजना के उपबन्धों द्वारा संचालित माना जाएगा, जैसा कि यह ऐसी गारंटी का साक्ष्य देने वाले प्रलेखों में लिखा गया है।

(ii) ऋणदात्री संस्थाएं/सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं, जहां तक सम्भव हो, यह सुनिश्चित करेंगी कि योजना के अधीन गारंटी दी गई किसी राशि के सम्बन्ध में किसी संविदा की शर्तों के कारण योजना के उपबन्धों के प्रतिकूल न हों। परंतु किसी अन्य प्रलेख व संविदा में किसी उपबन्ध के होने के बावजूद भी ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था पर आईएफसीआई के सम्बन्ध में योजना के अन्तर्गत लगाई गई शर्तें बाध्यकर होंगी।

17. आशोधन व छूटें:

(i) आईएफसीआई के पास योजना में आशोधन को निरस्त अथवा प्रतिस्थापित करने का अधिकार आरक्षित है ताकि इस योजना के अधीन जारी की गई किसी गारंटी के अन्तर्गत अधिकारों या उससे उत्पन्न या उद्भूत देयताएं, उस तारीख, जिस दिन ऐसे आशोधन, निरसन या प्रतिस्थापन लागू होते हैं, तक प्रभावी नहीं होंगी।

(ii) यहां उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी आईएफसीआई को ऐसे खाते, जिसके सम्बन्ध में ऐसे परिवर्तन की तारीख को गारंटी लागू नहीं की गई है, के सम्बन्ध में योजना के निबन्धनों और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

(iii) यदि योजना निरस्त हो जाती है तो जिस तारीख को यह योजना निरस्त होती है, उससे पूर्व तक, योजना के अनुबन्ध में खण्ड 10 के खण्ड (i) तथा (ii) में निहित उपबन्धों का ऋणदात्री संस्था/सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा जब तक पालन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में योजना द्वारा समाहित सुविधाओं के सम्बन्ध में आईएफसीआई के विरुद्ध कोई दावा नहीं बनेगा।

18. निर्वचन:

यदि योजना के किसी उपबन्ध अथवा इसके सम्बन्ध में दिए गए किसी निदेश या अनुदेश या स्पष्टीकरण के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो उस सम्बन्ध में आईएफसीआई का निर्णय अन्तिम होगा।

19. पूरक तथा सामान्य उपबन्ध:

यदि इस योजना में किसी मामले के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से उपबंध न किया गया हो तो आईएफसीआई इसके लिए पूरक तथा अतिरिक्त उपबन्ध जोड़ सकता है और इस योजना के प्रयोजन से आवश्यक समझे जाने वाले अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

अनुबन्ध–II

क्र. सं.	योजना/निधि की स्थापना की कार्य-विधि	समयावधि
	निधियों की स्थापना	**3-4 माह**
1.	आईएफसीआई के पास नो लियन एकांउट में निधियां अलग से रखना	
2.	योजना का सामान्य प्रारम्भ	
3.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से आवेदन की प्राप्ति पर पंजीकरण एवं टोकन जारी करना	
4.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को ऋण वृद्धि गारंटी जारी करना	

अनुबन्ध–III

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संकेतात्मक मूल्यांकन प्रपत्र

प्रारम्भिक मूल्यांकन

कम्पनी का नाम :
अवस्थिति :
(पंजीकृत कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय) :
किसके मार्फत प्रस्ताव प्राप्त हुआ :
पृष्ठभूमि :
प्रस्तावित परियोजना व अवस्थिति :
निधियों के उपयोग का क्षेत्र :
प्रवर्तक :
वर्तमान वित्तीय संरचना :

(करोड़ रुपए)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री				
कर पश्चात् लाभ				
इक्विटी पूंजी				
ऋण निधियां				

अनुमानित लाभप्रदता: **(करोड़ रुपए)**

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री					
कर पश्चात लाभ					
इक्विटी पूंजी					
कर पश्चात् लाभ मार्जिन का%					

बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले संकेतात्मक गुणावगुण माड्यूल्स

टिप्पणी: जो सूचना उपलब्ध नहीं है अथवा लागू नहीं है उसके सामने लागू नहीं लिख दें।

I. कम्पनी के सांविधिक दस्तावेज

क) संगठनात्मक चार्ट
ख) कम्पनी की संविदाएं (स्वामित्व/ किराएदारी/ ऋण/परामर्शिता/वारंटी/आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/प्रतिनिधित्व)
ग) शेयरधारिता का प्रतिमान
घ) सहायक कम्पनियों/शाखा कार्यालयों के बारे में सूचना
ङ) संयुक्त उद्यम, सहभागिता, सह–बद्धता
च) संगम–ज्ञापन, संगम–अनुच्छेद
छ) पंजीकरण प्रमाणपत्र
ज) कारोबार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र
झ) कम्पनी का नवीनतम टेलीफोन बिल

II. विपणन व प्रतिस्पर्धा

क) उत्पाद विवरण
ख) प्रौद्योगिकी
ग) विपणन/उद्योग विश्लेषण
घ) प्रतिस्पर्द्धा विश्लेषण
ङ) ग्राहक
च) विपणन नीति, वितरण नेटवर्क, बिक्री प्रयासों का संघटन/बिक्री के आंकड़े

III. कारोबार मॉडल व कार्यनीति

क) लक्ष्य और कार्य–निष्पादन की तुलना व मूल्यांकन
ख) कम्पनी की रूपरेखा/पृष्ठभूमि/कारोबार मॉडल व कारोबार प्रभाग
ग) (कच्चे माल) का स्रोत/क्रय, आपूर्तिकार की सूचना
घ) उत्पाद प्रक्रिया, अनुसंधान व विकास क्रियाकलाप,उप–ठेकेदार
ङ) निर्यात दर, उद्धृत मुद्रा, मुद्रा जोखिम

IV. प्रबन्धन व संगठन

क) प्रबन्धन/बोर्ड की रूपरेखा व पारिश्रमिक/संविदाएं
ख) निदेशक बोर्ड की रूपरेखा/प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि व पारिश्रमिक/निर्भरता/संविदाएं, प्रवर्तकों का पैन नम्बर, पहचान साक्ष्य, प्रवर्तकों की पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणियां
ग) मांइडसैट/टीम डायनमिक्स
घ) कारपोरेट गर्वनेंस, प्रबन्धन सूचना पद्धति
ङ) नियंत्रण तंत्र, आन्तरिक सूचना
च) परियोजना प्रबन्धन, उत्पाद प्रबन्धन, कर्मचारी सहभागिता (टीक्यूएम/टीपीएम/सीआईपी)
छ) जोखिम प्रबन्धन व न्यूनीकरण योजनाएं/गुणवत्ता मानक
ज) इक्विटी, निगमित कार्यवाही, निष्क्रिय साझेदार

V. वार्षिक रिपोर्टें व वित्तीय आंकड़े

क) लेखांकन सॉफ्टवेयर, प्रवाह सारणी, नकदीकरण योजना की प्रक्रियाएं, मूल्यह्रास पद्धति व प्रक्रियाएं
ख) ग्रुप कम्पनियों सहित पिछले 3 वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें
ग) परिसम्पत्तियों की अनुसूची, अमूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास
घ) आईपी अधिकार, लाइसेंस, एनडीए, विवाद
ङ) सम्पत्ति अधिकार, मुख्य परिसम्पत्तियां

च) ऋणियों की सूची, ऋण की मात्रा, साख दर
छ) नकदी एकत्रीकरण करार
ज) प्रोद्भूत राशियों, पेंशन देयताओं की सूची
झ) लाभ व हानि लेखा (पुनः उत्पाद, ग्राहक, कारोबार इकाइयां, क्षेत्र)
ञ) क्रियाकलाप आधारित लागत/प्रबन्धन (एबीसी/एम)
ट) आकस्मिक देयताएं
ठ) भूमि का पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो
ड) प्रदत्त लाभांश
ढ) मूल्यांकन का आधार
ण) आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टें

VI. कारोबार योजना समीक्षा

क) अनुमानित वित्तीय योजना (लाभ व हानि, तुलन-पत्र, नकद-प्रवाह)
ख) बिक्री योजना (उत्पाद, बाजार)
ग) उत्पाद योजना
घ) मानव संसाधन योजना
ङ) निवेश योजना
च) नकदी योजना
छ) अन्य, अन्तर्निहित पूर्वानुमान
ज) निधियां जुटाने व उपयोग करने की समय सीमा

VII. कार्यबल व कर्मचारी लाभ

क) कर्मचारियों की सूची व पारिश्रमिक
ख) उच्चतम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों की विस्तृत सूची
ग) कम्पनी के खाते देखने वाले कर्मचारियों की सूची
घ) मानव संसाधन संविदाएं
ङ) कर्मचारी लाभ कार्यक्रम व लागतें
च) पिछले वर्षों में इन्हें कम करने के लिए किए गए उपाय

VIII. अन्य

क) आपूर्तिकर्ता, साझेदार, **समझौता-ज्ञापन**, यदि कोई हो, एकमात्र अधिकार आदि
ख) बीमा
ग) उत्पाद देयता
घ) पर्यावरणीय मुद्दे/प्रदूषण स्तर
ङ) प्राधिकारियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान
च) महत्वपूर्ण कारोबार घटनाक्रम
छ) विधिक विवाद/आरोप/कम्पनी/प्रवर्तकों के विरुद्ध आरोप , यदि कोई हों
ज) भूमि के पट्टे के कागजात
झ) चल रहे विधिक मुकदमों, यदि कोई हों अथवा नहीं, पर प्रतिबद्धताएं
ञ) समान प्रोद्योगिकी का उपयोग करने वाले दो व्यक्तियों/ग्राहकों के सम्पर्क सूत्र
ट) अन्य कोई सूचना, यदि कोई हो

IX. लेखा - निरीक्षण

1. लेखांकन की पद्धति (मैनुअल, टैली, एसएपी आदि)
2. निधियों के स्रोत तथा उपयोग के लिए सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र
3. बैंक विवरणिका तथा खाता बहियों से निधियों के स्रोत/प्राप्ति की जांच
4. बैंक विवरणिका और खाता बही सहित शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति/ सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

5. कार्यवृत्त पुस्तिका/कम्पनी रजिस्ट्रार विवरण तथा शेयर रजिस्टर से जांच करते हुए शेयर पूंजी खाता (बही)
6. ऋण की मंजूरी व संवितरण: संस्थान/बैंक के आशय पत्र तथा बैंक विवरणी सहित संवितरण/सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र से
7. बैंक मिलान विवरण
8. नकद अदायगी पद्धतियों की जांच
9. प्रवर्तकों से ऋण: प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत
10. खाता बहियों में अन्य कोई महत्वपूर्ण प्राप्ति
11. भूमि पर व्यय: स्रोत, यदि नकद अथवा शेयर पूंजी के बदले अदायगी गई है, यदि शेयर पूंजी है तो क्या शेयर आबंटित किए गए अथवा अन्यथा
12. भूमि विकास पर व्यय, भवन, चारदीवारी, सड़क आदि पर व्यय
13. संयंत्र व मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम अथवा पूर्ण रूप से अदा की गई राशि
14. 9 से 11 के व्ययों की बिलों/इनवॉयस/क्रय आदेशों से सत्यापन करना तथा अदायगी का खाता
15. बहियों/चल/अचल परिसम्पत्तियों की खरीद सहित बैंक विवरणी से सत्यापन करना
16. अचल परिसम्पत्तियों के लिए प्रविष्टियों की अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर से सत्यापन/जांच करना
17. सभी चल/अचल परिसम्पत्तियों के लिए बीमा कवर
18. सभी सांविधिक देय राशियों की कटौती और अदायगी, विवरणी (3 वर्षों के लिए आयकर, भविष्य निधि, कम्पनी रजिस्ट्रार, वैट, सेवा-कर आदि) की जांच (इसके लिए कम्पनी से प्रमाणपत्र लेना)
19. आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो
20. पिछले 2/3 वर्षों के तुलन-पत्र, यदि उपलब्ध हों
21. निदेशक बोर्ड (प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन/अनुलाभ की अदायगी के लिए) की नियुक्तियां
22. आकस्मिक देयताएं, कम्पनी द्वारा दी गई गारंटी
23. कम्पनी द्वारा और कम्पनी तथा निदेशक के विरुद्ध दायर मुकदमे

* निधियों के स्रोतों और उपयोग के लिए सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र अपेक्षित है

** बैंक विवरणियों तथा खाता-बही का एक दूसरे से मिलान

अनुबन्ध-V

(संवितरण तथा बकाया स्थिति की तिमाही रिपोर्ट)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	ऋणी का नाम	मंजूरी सीमा	संवितरित राशि	बकाया मूलधन	अतिदेय ब्याज	प्रभारित अन्य बकाया प्रभार, यदि कोई हों	टिप्पणियां

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी सुविधा

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी वृद्धि योजना के अधीन गारंटी कवर को प्रभावी करने तथा दावे प्रस्तुत करने का आवेदन

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी वृद्धि योजना के खण्ड 10, अध्याय-V , अनुबन्ध-I के अनुसार हम निम्नानुसार दावा प्रस्तुत करते हैं:

1. ऑन-लाइन दावा आवेदन संदर्भ संख्या.....तारीख.....

2. परिचालनरत कार्यालय तथा ऋण देने वाली शाखा का विवरण:

क) सदस्य आईडी.....

ख) (i)ऋण देने वाली शाखा का नाम..... (ii)गांव/शहर.....

(iii)जिला..... (iv)राज्य.....

(v)टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित).....नं.....

(vi)ई-मेल.....

3. ऋणी/इकाई का विवरण:

क) नाम.....

ख) पूरा पता.....

ग) जिला..... घ)राज्य.....

ङ) टेलीफोन नं. (एसटीडीकोड).....नं.....

4. खाते (खातों) की स्थिति:

क) खाते को अलाभकारी परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत करने की तारीख.....

ख) आईएफसीआई को अलाभकारी परिसम्पत्ति की सूचना देने की तारीख.....

ग) कारण, जिनसे खाता अलाभकारी परिसम्पत्ति बन गया.....

.....

.....

घ) ऋण वापस मांगने का नोटिस जारी करने की तारीख.....

5. विधिक कार्यवाहियों का विवरण:

क) वह मंच, जिसकी मार्फत ऋणी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरम्भ की गई (कृपया किसी एक पर निशान लगाएं। सिविल कोर्ट
डीआरटी/लोक अदालत/राजस्व वसूली प्राधिकरण/प्रतिभूति अधिनियम, 2002 (एसआरएफएईएसआईए)

अन्य (कृपया उल्लेख करें).....

ख) वाद/मुकदमा पंजीकरण संख्या..... ग) दिनांक.....

घ) मंच का नाम तथा अवस्थिति..... ङ) दावा की गई राशि.....

च) वर्तमान स्थिति/टिप्पणियां.....

.....

.....

छ) क्या वसूली कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं ? हां/नहीं

6. सावधि ऋण/संयुक्त सावधि ऋण का विवरण:

(समग्र राशि रुपयों में होनी चाहिए)

क्र. सं.	सीजीपीएएन	अन्तिम संवितरण की तारीख	पुन: अदायगियां		खाता अलाभकारी बनने की तारीख को बकाया#	दायर किए गए सिविल वाद/मुकदमे में वर्णित बकाया#	दावा दायर करने की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया#
			मूलधन	ब्याज व अन्य प्रभार			
1.							
2.							
3.							
4.							

#केवल बकाया मूलधन तथा ब्याज का उल्लेख करें

7. प्रतिभूति तथा व्यक्तिगत गारंटी का विवरण

(समग्र राशि रुपयों में होनी चाहिए)

विवरण	स्वरूप	मूल्य	गारंटीकर्ता(ओं) का निवल मूल्य	प्रतिभूति के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के कारण
ऋण की मंजूरी की तारीख को				
खाता अलाभकारी बनने की तारीख को				
दावा दायर करने की तारीख को				

8. खाते के अलाभकारी परिसम्पत्ति के रूप में खाता वर्गीकरण के बाद ऋणी/इकाई से की गई वसूलियां:

(समग्र राशि रुपयों में होनी चाहिए)

क्र. सं.	सीजीपीएएन	अन्तिम संवितरण की तारीख	सावधि ऋण/संयुक्त ऋण		वसूली का तरीका@
			मूलधन	ब्याज एवं अन्य प्रभार	
1.					
2.					
3.					
4.					

@कृपया प्रतिभूति की बिक्री, खाता अलाभकारी परिसम्पत्ति बनने की तारीख के बाद प्राप्त सब्सिडी, एकमुश्त निपटान आदि जैसे तरीके का उल्लेख करें।

यदि वसूली एकमुश्त निपटान की मार्फत की गई है तो एकमुश्त निपटान के लिए आईएफसीआई से अनुमोदन लेने की तारीख का उल्लेख करें .....

9. कुल राशि, जिसके लिए गारंटी का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है:

(समग्र राशि रुपयों में होनी चाहिए)

क्र. सं.	सीजीपीएएन	ऋण गारंटी वृद्धि के अधीन शामिल ऋण/सीमा	दावा की गई राशि*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

* दावे के लिए अनुमत्य राशि **सावधि ऋण/संयुक्त ऋण का** 75%, जो भी कम हो, है।

क) खाता अलाभकारी बनने की तारीख के बाद की गई कोई पुन:अदायगी/वसूली को घटाने के बाद खाते को अलाभकारी परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण की तारीख को खाते में बकाया मूलधन राशि

या

ख) ऋण गारंटी योजना के अधीन समाहित सावधि ऋण/संयुक्त ऋण।

सदस्य ऋणदात्री संस्था (बैंक/संस्थान) द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

(बैंक के सहायक महाप्रबन्धक के पद से कम नहीं के अधिकारी अथवा इसके समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

घोषणा: हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना सभी प्रकार से सत्य और सही है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि सदस्य ऋणदात्री संस्था या खाते का संचालन करने वाले इसके किसी अधिकारी की ओर से कोई भूल अथवा लापरवाही नहीं की गई है । हम यह भी घोषणा करते हैं कि सदस्य ऋणदात्री संस्था की ओर से दावा प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि खाता (खाते), जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, के सम्बन्ध में आन्तरिक/बाह्य लेखा-परीक्षकों, अनुसूचित जाति ऋण गारंटी वृद्धि योजना के निरीक्षकों अथवा इसकी एजेंसी द्वारा कोई भूल अथवा लापरवाही नहीं पाई गई है।

वचनपत्र : हम एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्य करने का वचन देते हैं :

क) कानूनी कार्यवाहियों सहित वसूली के समग्र उपाय करेंगे ।

ख) आईएफसीआई द्वारा गारंटी दावे का पूर्ण निपटान होने तक प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति अनुसार अर्द्ध वार्षिक आधार पर ऋणी से बकाया देय राशि की स्थिति के बारे में आईएफसीआई को सूचित करेंगे।

ग) यदि आईएफसीआई की राय में हम ऋणी अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिससे राशि वसूल की जानी है, से गारंटी दिए गए ऋण की वसूली के लिए कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहते हैं अथवा लापरवाही करते हैं तो निपटाए गए दावे की राशि तथा लागू बैंक दर के 4% से अधिक उस पर ब्याज आईएफसीआई को वापस करेंगे।

घ) आईएफसीआई द्वारा दावे की अदायगी करने पर, राशि की वसूली के लिए किए गए विधिक व्ययों को समायोजित करने के बाद, ऋण के संचालन के लिए अथवा/अन्यथा जिम्मेदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से उससे/उनसे हमें देय ऋण, जिनके सम्बन्ध में ऐसी सभी वसूलियों की राशि, जिनके लिए हम या हमारे एजेंट हमारी ओर से काम कर रहे हैं, आईएफसीआई को भेजेंगे।

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

सदस्य ऋणदात्री संस्था का नाम और मोहर.....

तारीख..... स्थान.....

1) आईएफसीआई के पास कोई अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, मांगने का अधिकार आरक्षित है।

2) आईएफसीआई के पास ऊपर निर्दिष्ट तथ्यों की जांच करने के लिए, कोई उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ करने, किसी व्यक्ति/संस्थान आदि की नियुक्ति करने का अधिकार आरक्षित है और यदि घोषणा के विपरीत कुछ पाया जाता है तो आईएफसीआई को अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी वृद्धि योजना के अधीन दावे को अवैध मानने का अधिकार आरक्षित है।

दावा दायर करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

1. यह सुनिश्चित करना कि दावे की तारीख को गारंटी लागू है और सदस्य ऋणदात्री संस्था/ऋणी ने नियमित रूप से गारंटी शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की अदायगी की है। सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा गारंटी लागू रखने के लिए दावे की प्रथम किश्त जारी होने तक वार्षिक नवीकरण शुल्क की अदायगी करनी होगी।
2. यह सुनिश्चित करना कि अन्तिम संवितरण की तारीख से 12 माह की विराम अवधि।
3. ऋणी के खाते को मानदण्डों के अनुसार अलाभकारी परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. ऋण वापस मांगने का नोटिस जारी करने की तारीख दी गई है।
5. यह सुनिश्चित करना कि कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई आरम्भ करने की तारीख तथा डीआरटी/राजस्व वसूली प्राधिकरण/एसएआरएफएईएसआई आदि जैसे उन विधिक प्राधिकरणों को उपयुक्त विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिनमें ऋण आवेदन दायर किया गया। एसएआरएफएईएसआई के मामले में कृपया हमारे परिपत्र संख्या 43 के अनुसार दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
6. यह सुनिश्चित करना कि सदस्य ऋणदात्री संस्था के सहायक महाप्रबन्धक अथवा इसके समकक्ष किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित घोषणा तथा वचनपत्र दावा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
7. खाता अलाभकारी बनने की तारीख के बाद ऋणी द्वारा ली गई सब्सिडी (ऋण की राशि और तारीख), यदि कोई हो, के विवरण भी प्रस्तुत किए जाएं।

*****

IFCI LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 (भारत)

टेलीफोन: +91-11-41732000/41792800, फैक्स:+91-11-26230201/26488471

ई-मेल: cegssc@ifciltd.com, वेबसाइट: www.ifciltd.com

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677